



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124304

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 13679 वर्ष 2026

आकाश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : संजय कुमार द्विवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्विवेदी, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 90 वर्ष 2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 124 भारतीय न्याय संहिता, थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा के अंतर्गत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ घायल के बयान में, आवेदक एवं सह-अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता के बीच संक्षिप्त हाथापाई के उपरांत, आवेदक ने घायल पर तेजाब फेंक दिया। हालांकि, चोट की रिपोर्ट दर्शाती है कि घायल को शरीर के गैर-मर्मज्ञ हिस्से पर जलने की चोटें आईं, जो प्रकृति में साधारण हैं। अतः, मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1) के अंतर्गत नहीं बल्कि अधिकतम धारा 124(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आएगा जो कि 7

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्ष तक दंडनीय है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और उसे झूठा फंसाया गया है। अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने संलग्न शपथ पत्र में एक मामले के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है और वह दिनांक 27.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन वे उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी संख्या में लंबित होने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो **2025** एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. **3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में निर्णय के आदेशात्मक निर्देश और साथ ही जमानत प्रदान करने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो **2024** एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल **6765** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- आकाश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के उपरांत किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतियों (जमानतदारों) की पहचान, हैसियत और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतियों के मोबाइल नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रे: सूओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 4 वर्ष 2021 निर्णीत 31.01.2023 जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है, के साथ-साथ पीला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 169 वर्ष 2025, निर्णीत 29.05.2026 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित मथुरा जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।
12. प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

1 जून, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।